

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप-21-घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.
मध्यप्रदेश (राज्य) के 055-दमोह निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचन।

055-दमोह निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-


श्री अजय कुमार टंडन, टंडन बगीचा, सिविल वार्ड नं 08, कृष्णा वार्ड, दमोह (म.प्र.) पिन नंबर-470661 जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं)

उस सदन में,

श्री राहुल सिंह के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- दमोह

तारीख- 02.05.2021


(**राकेश सिंह मरकाम**)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधान सभा
055-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
55 दमोह